न्यायलय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

[illegible] 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
[illegible]		1. रामचन्द पुत्र [illegible] जाति [illegible]
[illegible]		2. इन्द्रा पत्नि जगदीश
[illegible]		3. सुरेश पुत्र जगदीश
[illegible]		4. [illegible] पुत्र जगदीश
[illegible]		5. [illegible] पुत्री जगदीश नाबालिग [illegible] माता इन्द्रादेवी
		6. विमला पुत्र जगदीश
		7. आरती पुत्री जगदीश [illegible] निवासीगण साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		8. शांति पत्नि चौथाराम
		9. निर्मलकुमार पुत्र चौथाराम जातिगण सरगरा निवासीगण साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रा0वि0 प्रार्थना पत्र सं0 65/19 बअनवान रामचन्द्र बनाम गिरधारी निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.05.2021

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : – 18/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर सरहद मौजा साण्डिया के ख.नं. 1762, 1854 में से नया मार्ग ख.नं. 1847, 1848, 1851 मे जाने हेतु 20 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। जो प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 25.03 2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में कानूनी त्रुटि होने से जो फेस ऑन दी रिकॉर्ड है और देखने मात्र से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मूल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने पर भी मूल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को उपस्थित रहने

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

का कोई नोटिस नही दिया गया एवं तहसीलदार सोजत द्वारा एक पक्षीय रिपार्ट तैयार कर दी गई। न्यायालय के आदेश की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 को रिव्यू किये जाने की ईस्तदुआ की है साथ ही धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण को मूल प्रार्थना पत्र मे हुए निर्णय की जानकारी बिल्कुल नही थी, इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण द्वारा ख.नं 1762 व 1854 में से रास्ता निकालने पर उतारू होने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया और दिनांक 30.05.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी मे आया। जिससे देरीना अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 में कानूनी त्रुटि होने से एवं मूल प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाने व तहसीलदार सोजत द्वारा एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार करने के कारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 को पुनर्विलोकन किया जावे। जवाब बहस. में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा विधिनुरूप एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र में रास्ते आत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया गया हैं। जिससे वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनर्विलोकन की कोई आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय पत्रावली का अध्ययन का बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत "ऐसा कोई भी आवेदन या ऐसी नई बात या साक्ष्य के पता चलने के आधार पर जिसके बारे में आवेदक अभिकथन करता हैं, कि वह उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं थी, उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, ऐसे अभिकथन के पूर्ण सबूत के बिना मंजूर नहीं किया जायेगा।" मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 क में दिनांक 15.03.2021 तक अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का लगातार अवसर दिया गया। तदोपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से दिनांक 25.03.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया और जिसका उल्लेख निर्णय के पृष्ठ सं0 2 पैरा सं0 2 में किया गया हैं। निर्णय मे किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं हुई हैं। कृषि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जोत मे आने जाने हेतु/ कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होती है। उसी अनुरूप विधि मे विहित प्रावधानो के अनुरूप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जिसका पुनर्विलोकन/रिव्यू किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: आदेश :—

अत: अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 सपठित धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)